



231

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प सागर)

सर्वी  
जे.ए.  
३/५/०८

कुटुंबा  
गणपत तनय कलुआ चट्टार R 486-1108

निवासी ग्राम सिमरिया तह. बड़ा मल्हरा जि. छतरपुर

-पुनरोक्षणकर्ता

II विरुद्ध II

1. म०प्र०शासन द्वारा - कलेक्टर छतरपुर
2. गणपत तनय हिलका यादव
3. वैजनाथ तनय हिलका यादव
4. श्यामलाल तनय हिलका यादव

सभी नि० ग्राम सिमरिया तह. बड़ा मल्हरा जिला छतरपुर

-- -- अनावेदकगण

पुनरोक्षण अतिरिक्त धारा 50 म०प्र०म०र०अ०

पुनरोक्षण कर्ता द्वारा यह पुनरोक्षण माननीय कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर द्वारा अपील प्र०क्र० 52/अ-19/05-06 में पारित आदेश दिनांक 13.2.2008 से परिवेद्यित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया है।

II पुनरोक्षण के आधार II

1- यह कि माननीय कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर द्वारा पुनरोक्षण कर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यह कि माननीय आयुक्त महोदय ने पुनरोक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि तबादला आवेदन अति. तहसीलदार पुष्पारा द्वारा प्रस्तुत जाच प्रतिवेदन, पटवारी प्रतिवेदन, मौका पधनाया वन परिधे अधिकारी प्रतिवेदन, उपपंजीयक विजावर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ग्राम पंचायत प्रस्ताव पर विचार किए बिना माननीय कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित विधि विरुद्ध आदेश को यथावत रखने का आदेश प्रदान कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो

क्रमांक 787  
पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 5-5-08 को प्राप्त  
B. S. Singh  
कलेक्टर और कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

mmn  
Am  
Amces

P. S.

